

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
बरेली।

सेवा में

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

समस्त राजकीय/आशासकीय सहायता प्राप्त/वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय
बरेली।

पत्रांक: जि०वि०नि०/रा०त०नि०प्र०/2020-21/

दिनांक: 22/01/2021

विषय: जनपद के स्कूली बच्चों तक फाउंडेशन फॉर स्मोक फ्री बार्ड ग्रांटी एवं अन्य तम्बाकू
कम्पनियों को पहुँचने से रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक शिविर/25267
- 25361/2020-2021 दिनांक 25-11-2020 द्वारा जनपद के स्कूली बच्चों तक फाउंडेशन फॉर
स्मोक फ्री बार्ड ग्रांटी एवं अन्य तम्बाकू कम्पनियों को पहुँचने से रोकने एवं COTPA 2003 के
अन्तर्गत FCTC के अन्नुच्छेद 5.3 के अनुपालन के सम्बन्ध में जनपद के समस्त छात्रों को जागरूक
किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त क्रम में आप को निर्देशित किया जाता है कि स्कूली बच्चों तक फाउंडेशन फॉर ए
स्मोक फ्री बार्ड ग्रांटी एवं अन्य तम्बाकू कम्पनियों को पहुँचने से रोकने के सम्बन्ध में अपने
विद्यालय में अययनस्त समस्त छात्र - छात्राओं को जागरूक कराये एवं पम्पलेट लगवाएं जिससे
इसके प्रति बच्चे जागरूक हो सकें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

जिला विद्यालय निरीक्षक
बरेली।

पत्रांक: जि०वि०नि०/रा०त०नि०प्र०/2020-21/9236-e

तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०, लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उ०प्र०, लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, बरेली।
5. मुख्य विकास अधिकारी, बरेली।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली।

जिला विद्यालय निरीक्षक
बरेली।